कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यालय दूरभाष सं0 : 0522-2623912, 0522-2614700 फैक्स सं0: 0522-2230099 ई-मेल :dmawaslko@gmail.com

पत्रांक : 232/आ०व्य०अ०/2020

दिनांक : 20/03/2020

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–548/पांच–5/2020 के प्रस्तर 12 (बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में सभी तत्संबंधी परिसर स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि जनपद लखनऊ के समस्त रेस्टोरेंट (आवासीय परिसर के अन्दर रेस्टोरेंटों को सम्मिलित करते हुये), ढ़ाबे, फूड स्टॉल, कॉफी हाउस/कैफे, खाने–पीने के होटल, मिष्ठान भण्डार, जलपान गृह इत्यादि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बंद किए जाएं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लघंन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पंद्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

20/3/2020

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस आयुक्त, लखनऊ (नगर), लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से अनुपालन कराने का कष्ट करें।
6. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
7. पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. नगर आयुक्त, लखनऊ।
9. समस्त अपर जिलाधिकारी, लखनऊ।
10. नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
11. समस्त उप जिलाधिकारी, लखनऊ।
12. समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
14. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, लखनऊ।
15. अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा, लखनऊ।
16. उप निदेशक, सूचना, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश की सूचना का प्रसारण/प्रकाशन जनहित में समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें।

20/3/2020

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ